

## FORM NO.III

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थी:-

अब्दुल सलाम पुत्र नजीर जी,  
जाति-मुसलमान, निवास-रोहट,  
जिला-पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. मृत केवलराम पुत्र लच्छीराम जी,  
जाति-पटेल, निवासी-निम्बली पटेलान के  
विधिक वारिस :-  
1/1. दलाराम पुत्र केवलराम, जाति-पटेल  
निवासी-निम्बली पटेलान् तहसील-रोहट,  
जिला-पाली
2. ग्राम पंचायत रोहट जरिये सरपंच

पंचायत विविध- 06/2020

जीसीएमएस नम्बर- 2020/00190

स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/20	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत रोहट के संकल्प संख्या 07 दिनांक 06.11.1964 की पालना में जारी विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 45 दिनांक 06.12.1964 में स्थगन प्राप्त करने हेतु पेश की है। प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 28/9/20 को पेश हो।	991 17/09/20
28/9/20	<p>कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थित नहीं देने का निर्णय लिख है। पेशी इत्तया होकर पत्रावली दिनांक 11/11/20 को पेश है। पुनश्चः प्रार्थी ने उपस्थित होकर पत्रावली को जरिये विज्ञापन खारिज करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल भिमल है। चुकी मूल निगरानी जरिये विज्ञापन खारिज की जा चुकी है। अतः इस स्वरूप पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली जरिये विज्ञापन खारिज की जाती है। पत्रावली सुमार केसल होकर इस न्यायालय के नम्बर के कम है।</p> <p>A जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>अब्दुल सलाम Identified [Signature]</p>

